

न्यायालय जिला कलक्टर, खैरथल-तिजारा (राजस्थान)

प्रकरण संख्या: 12/81/2025 G.C.M.S संख्या: 2025/266

दर्ज दिनांक: 13-05-2025 निर्णय दिनांक: 27-05-2026

1- हंसराज पुत्र हीरालाल जाति जाट निवासी झाबूआ तहसील बावल जिला रेवाडी (हरियाणा)

अपीलान्ट

बनाम

1- तहसीलदार, मुंडावर, जिला खैरथल-तिजारा (राजस्थान)

रेस्पोंडेन्ट

अपील अंतर्गत- न्यायालय तहसीलदार, मुण्डावर द्वारा राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 91 के अंतर्गत पारित आदेश दिनांक 20.03.2025 प्रकरण संख्या 318/2024

उपस्थिति:

1- श्री सरजीत यादव

वकील अपीलान्ट

निर्णय

अपीलान्ट द्वारा यह अपील तहसीलदार, मुण्डावर द्वारा पारित आदेश दिनांक 20.03.2025 प्रकरण संख्या 318/2024 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 91 के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। मूल आदेश में यह निष्कर्ष दिया गया कि वाके ग्राम शीलगाव की आराजी खसरा नं. 1 रकबा 180.44 है 0 किस्म गैरमुमकिन नदी भूमि में से 2.5 हैक्टेयर भूमि पर सरसो की फसल काशत कर अतिक्रमी द्वारा अवैध अतिक्रमण किया गया तथा मौके पर बोई गई गेहू की फसल को हटाने, अतिक्रमण समाप्त करने तथा किया गया अतिक्रमण पश्चातवर्ती पाया जाने पर धारा 91 के अनुसार दण्डात्मक कार्यवाही करने का आदेश दिया गया।

अपीलान्ट का मुख्य कथन है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा आदेश तथ्यों एवं कानून के विपरीत पारित किया गया, उसे समुचित अवसर नहीं दिया गया, पटवारी द्वारा गलत रिपोर्ट प्रस्तुत की गई तथा बिना उचित जांच के आदेश पारित कर दिया गया। अपीलार्थी का यह भी कहना है, कि उसने न तो पूर्व में और न वर्तमान में किसी प्रकार का अतिक्रमण किया है।


जिला कलक्टर
खैरथल-तिजारा

मैंने अपील पत्र, अपीलित आदेश तथा उपलब्ध अभिलेखीय सामग्री का अवलोकन किया। अभिलेख से स्पष्ट है कि मूल प्रकरण हल्का पटवारी की रिपोर्ट पर दर्ज किया गया, नोटिस जारी किए गए तथा कार्यवाही के उपरांत आदेश पारित किया गया। अभिलेख में यह भी परिलक्षित होता है कि अपीलार्थी को कार्यवाही की जानकारी थी। अतः यह नहीं कहा जा सकता कि आदेश पूर्णतः एकपक्षीय अथवा बिना सूचना के पारित किया गया।

अधीनस्थ न्यायालय ने हल्का पटवारी की रिपोर्ट, मौके की स्थिति तथा उपलब्ध दस्तावेजों के आधार पर यह निष्कर्ष निकाला कि विवादित भूमि गैरमुमकिन नदी की भूमि है और उस पर अपीलार्थी द्वारा कब्जा कर फसल बोई गई। ऐसी भूमि पर अतिक्रमण सार्वजनिक उपयोग में बाधा उत्पन्न करता है, अतः उसका हटाया जाना आवश्यक माना गया। उपलब्ध रिकॉर्ड से यह सिद्ध नहीं होता कि अधीनस्थ न्यायालय ने बिना किसी साक्ष्य के या अधिकारिता से बाहर जाकर आदेश पारित किया हो।

अपीलीय अधिकारिता में हस्तक्षेप तभी किया जाना उचित होता है जब अधीनस्थ न्यायालय का आदेश अभिलेख-विरुद्ध, विधि-विरुद्ध, प्राकृतिक न्याय के प्रतिकूल अथवा गंभीर तथ्यात्मक त्रुटि से युक्त हो। मात्र इस आधार पर कि अपीलार्थी का दृष्टिकोण भिन्न है, आदेश निरस्त नहीं किया जा सकता। वर्तमान प्रकरण में अपीलार्थी ऐसा कोई ठोस आधार प्रस्तुत नहीं कर सका है, जिससे यह निष्कर्ष निकले कि अधीनस्थ न्यायालय का आदेश अवैध या असंगत है।

अतः समस्त अभिलेखीय सामग्री, अपील के आधारों तथा अपीलित आदेश पर विचार करने के उपरांत यह न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुँचता है कि अपील निराधार है और इसमें हस्तक्षेप का कोई पर्याप्त आधार नहीं है।

आदेश

1. अपीलान्त हंसराज पुत्र हीरालाल जाति जाट निवासी झाबूआ तहसील बावल जिला रेवाडी (हरि0) द्वारा प्रस्तुत राजस्व अपील खारिज की जाती है।
 2. न्यायालय तहसीलदार किशनगढबास द्वारा पारित आदेश दिनांक 24.02.2026 प्रकरण संख्या 318/2024 यथावत् कायम रखा जाता है।
 3. संबंधित न्यायालय/तहसीलदार किशनगढबास आदेश की पालना नियमानुसार सुनिश्चित करें।
 4. निर्णय की प्रमाणित प्रति संबंधित न्यायालय को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित की जाए
 5. पत्रावली नियमानुसार दफ्तर दाखिल की जाए।
- निर्णय आज दिनांक 27.05.2026 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(अरुण प्रकाश)
जिला कलेक्टर
खैरथल-तिजारा (राजस्थान)